तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
10.9.20	पत्रावली पेश। वकील डिक्रीदार उप० नहीं। वास्ते पालना 12.10.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
12.10.20	पत्रावली पेश। वकील डिक्रीदार उप० नहीं। पालना रिपोर्ट प्राप्त। श्रा. का. हो। प्रकरण में अग्रिम पालना। कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से पत्रावली को निर्णित में गणना की जाकर दाखिल रेकर्ड भण्डार हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

वाद कमॉक	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78/2018	10.08.2018	9.4.2019

पीठासीन अधिकारी :– चिमनलाल मीणा (आर0ए0एस0)

–:: उनवान ::–

1. राजा मीणा आयु वर्ष पुत्र हीरालाल जाति–मीणा निवासी– चेचट, तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा(राज0)

–वादी

–:: बनाम ::–

1. गुलाब पुत्री धूली लाल जाति–मीणा
2. गीता पुत्री धूली लाल जांति–मीणा
3. द्रोपदी बाई पुत्री रामगोपाल जाति–मीणा
4. देवी लाल आत्मज रामगोपाल जाति–मीणा
5. प्रमोद आत्मज रामचन्द जाति–मीणा
6. बिन्दीया बाई पत्नी रमेश जाति–मीणा
7. भवानीलाल पुत्र रामगोपाल जाति–मीणा,
8. मकेश पुत्र रामगोपाल जाति–मीणा,
9. मैना बाई पुत्री रामगोपाल जाति–मीणा,
10. मनोज पुत्र रामगोपाल जाति–मीणा,
11. मॉगीबाई पत्नी रामगोपाल जाति–मीणा,
12. रूपलाल पुत्र धूलीलाल जाति–मीणा,
13. सूरज पुत्र रमेश जाति–मीणा
14. सागर पुत्र रमेश जाति–मीणा
15. हीरालाल पुत्र धूलीलाल जाति–मीणा, निवासीगण पामाखेडीं तहसील रामगंजमण्डी जिला–कोटा(राज0)
16. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब,रामगंजमण्डी

–प्रतिवादीगण

–वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,88,89,188 रा.टे.एक्ट–

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री हबीब नूर वकील वादी

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 9.4.19

वादी द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि,वादी ग्राम चेचट का रहने वाला शान्ति प्रिय नागरिक हे जिसकी एक आराजी वाके माल ग्राम पामाखेडी, पटवार हल्का सलावद खुर्द, तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 81 की

1

सत्य – प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

9/4/19

उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

(P.T.O.)

खसरा नम्बर 188,,189,191,313 कुल किता 4 की कुल रकबा 0.1622 हैक्टयर स्थित है।

यह कि पूर्व खातेदार रतनलाल व रूपा बाई बेवा रामचन्द्र व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर रखा था। इसी अनुसार वादी ने रतनलाल पुत्र रामचन्द्र व रूपा बाई बेवा रामचन्द्र का विभाजित हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है।

यह कि वर्तमान मे उक्त खाता संख्या 81,खसरा नम्बर 188,189,191,313 वादी एवं प्रतिवादीगण का शामलाती रूप से रहा है जिस कारण वादी को अत्यधिक कष्टो का सामना करना पड रहा है। उक्त खाता शामलाती होने से उसको कन्वर्ट कराने या रहन, बेय करने व किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने मे वादी को अत्यधिक कष्टो का सामना करना पड रहा है।

यह कि वादी पूर्व खातेदार रतन्नलाल व रूपा बाई को उक्त भूमि विक्रय करने के बाद से ही लगातार उनके हिस्से पर काबिज काश्त है।

यह कि वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि मेरा शामलाती खाता होने से मुझे कई प्रकार की समस्याओ का सामना करना पड रहा है। आज चलकर खाता अलग करवा दो। किन्तु प्रतिवादीगण कहते है कि हमने तो आपस मे विभाजन कर रखा है। अगर तुम्हे आवश्यकता है तो तुम ही करवा लो। हमे विभाजन या खाता अलग करवाने की कोई आवश्यकता नही है।

यह कि दिनांक–5.08.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि –चलो मेरा खाता अलग करवा दो, तो प्रतिवादीगण आमदा फसाद होकर कहने लगे कि हमे इसकी कोई आवश्यकता नही है,तुम्हे है तो तुम्ही करवा लो।

यह कि सयुक्त खाते की आराजीयात स्थित होने एंव राजस्व अभिलेख मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर से विभाजन मे आयी आराजीयात पर खाता पृथक कायम

07/4/19

सत्य – प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी

कराने का कानूनन अधिकारी है एवं वादी के हिस्से के अनुसार आराजीयात का लगान भी विभाजित कराने का अधिकारी है।

यह कि अविभाजित आराजीयात होने से वादी अपने हिस्से की आराजीयात पर इम्प्रूमेन्ट नही करा पा रहा है,प्रतिवर्ष सयुंक्त रूप से लगान जमा कराते समय भी विवाद होता रहता है।

यह कि राजस्व अभिलेख मे विधिवत् विभाजन नही होने के कारण प्रतिवादीगण किसी भी समय विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द कर सकते है।जिससे विवादित आराजीयात के लिये "वेस्ट डेमेज एण्ड एलाईनेशन" का खतरा उत्पन्न हो गया है।

यह कि वादी का यह प्रथम दृष्टया वाद है तथा सुविधाओ का सन्तुलन भी वादी के पक्ष मे है एवं विवादित आराजीयात के प्रतिवादीगण द्वारा खुर्द बुर्द किये जाने की स्थिति से वादी को अपरिमित क्षति होने की सम्भावना है जिसकी पूर्ति वादी को किसी भी रूप मे नही हो सकेगी।

यह कि उक्त समस्त कारणो से वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित सयुंक्त खातें की आराजीयात वाके माल ग्राम पामाखेडी, पटवार हल्का सलावद खुर्द, तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 81 की खसरा नम्बर 188,,189,191,313 कुल किता 4 की कुल रकबा 0.1622 हैक्टयर मे राजस्व अभिलेख मे दर्ज अपने हिस्से अनुसार भूमि पूर्व खातेदार रतनलाल व रूपा बाई के समय से हो रहे विभाजन अनुसार प्राप्त भूमि का खातेदार घोषित होकर पृथक से खाता अलग करावे एवं विभाजित भूमि का लगान राज भी पृथक कायम करावे।

यह कि वादी के लिये यह भी आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्ययालय से अपने हित मे विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रसारित करावे कि विवादित आराजीयात वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित वाके माल ग्राम पामाखेडी, पटवार हल्का सलावद खुर्द, तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 81

08/4/18

सत्य – प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

की खसरा नम्बर 188,,189,191,313 कुल किता 4 की कुल रकबा 0.1622 हैक्टयर मे स्थित वादी के हिस्से को वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करते रहने दे। इसमे किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वंय उत्पन्न करे और न ही ऐसा कोई कार्य अपने किसी परिजन अथवा एजेन्ट से करावे तथा ना ही उक्त वर्णित आराजीयात को किसी तरह से मुन्तकिल आदि करे और ना ही किसी प्रकार खुर्द बुर्द करे।

यह कि वाद कारण अन्तिम बार दिनांक–5.08.2018 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से खाता अलग कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा आमदा फसाद होने और यह कहने पर कि – हमे इसकी कोई आवश्यकता नही है,तुम्हे है तो तुम्ही करवा लो, पर उत्पन्न हुआ है।

यह कि विवादित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे स्थित ग्राम पामाखेडी, तहसील–रामगंजमण्डी मे स्थित होने से इस वाद के श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

यह कि अधिकार क्षैत्र हेतु वाद का मूल्यांकन 2,00,000/–रूपये निश्चित किया जाकर न्यायशुल्क 1/–रूपये निश्चित किया जाकर वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।जिसके श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

यह कि राज्य सरकार लेण्ड होल्डर होने से उन्हे इस वाद मे फोरमल पक्षकार बनाया गया है।

अंत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि ,

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा वादी के हित मे विरूद्व प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित सयुंक्त खातें की आराजीयात वाके माल ग्राम पामाखेडी, पटवार हल्का सलावद खुर्द, तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 81 की खसरा नम्बर 188,,189,191,313 कुल किता 4 की कुल रकबा 0.1622 हैक्टयर मे राजस्व अभिलेख मे दर्ज अपने हिस्से अनुसार भूमि पूर्व खातेदार रतनलाल व रूपा बाई के समय से हो रहे विभाजन अनुसार प्राप्त भूमि का

– प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

खातेदार घोषित होकर पृथक से खाता अलग करे एवं विभाजित भूमि का लगान राज भी पृथक कायम करावे।

2. यह कि वादी के लिये यह भी आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्ययालय से अपने हित मे विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रसारित करावे कि विवादित आराजीयात वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित आराजीयात वाके माल ग्राम पामाखेडी, पटवार हल्का सलावद खुर्द, तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 81 की खसरा नम्बर 188,,189,191,313 कुल किता 4 की कुल रकबा 0.1622 हैक्टयर मे स्थित वादी को प्राप्त हिस्से को वादी को शान्तिपूर्वक काश्त करते रहने दे। इसमे किसी प्रकार क्री मदाखलत मजाहमत न तो स्वंय उत्पन्न करे और न ही ऐसा कोई कार्य अपने किसी परिजन अथवा एजेन्ट से करावे तथा ना ही उक्त वर्णित आराजीयात को किसी तरह से मुन्तकिल आदि करे और ना ही किसी प्रकार खुर्द बुर्द करे।

3. यह अन्य कोई सहायता जो न्यायोचित हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण वाजूद सूचना अनु0 रहै लिहाजा उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। एक तरफा साक्ष्य वादी ली गई। वादी द्वारा स्वयं का शपथपत्र तथा नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराया। तथा वाद वादी को स्वीकार किये जाने का कथन किया गया।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। हस्व नकल जमाबन्दी ग्राम पामाखेड़ी खसरा नम्बर 188, 189 ,191 313 किता 4 रकबा 1.46 हैक्टर के वादी 1/9 हिस्से का सहखातेदार है और धारा 53 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत भूमि का विधिक विभाजन करवाने का हकदार है। प्रतिवादीगण के विरूद्व

सत्य – प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमंडी

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है और विधिक विभाजन से उनके अर्थात प्रतिवादीगण के खातेदारी स्वत्वः विपरीतरूप से प्रभावित नहीं हो रहै है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि ग्राम पामाखेड़ी की भूमि खसरा नम्बर 188, 189 ,191 313 किता 4 रकबा 1.46 हैक्टर का वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 15 के मध्य मीट्स एवं बाउॅडस के अनुसार होल्डिंग विभाजन किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 16 उक्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य पक्षकारों की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तदनुसार प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 9.4.19 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

09/4/19

(विमनलाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी